मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

कमांक / एफ–3–61 / 13 / 32 भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2013

प्रति,

आयुक्त सह संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल।

विषयः– विकास योजना तैयार करने में अपनाई जाने वाली प्रकिया संबंधी निर्देश।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है अधिनियम की धारा 18(1) में प्रारूप प्रकाशन पर प्राप्त आपत्ति / सुझावों पर समिति की अनुशंसाऐ ली जाती है। तदोपरान्त संचालक विकास योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते है। संचालनालय द्वारा तैयार विकास योजनाओं के प्रारूपों का फारमेट एक समान नही होता है। और उनमे कई त्रुटियॉ भी देखने में आती है। अत: विकास योजना प्रारूप तैयार करने एवं आपत्ति सुनवाई का प्रतिवेदन शासन को भेजने हेतु भविष्य में निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाए:–

1.1 निवेश क्षेत्र के गठन एवं अधिनियम की धारा 15(4) अन्तर्गत वर्तमान भूमि उपयोग अंगीकरण संबधी जारी सभी अधिसूचनाओं का अध्ययन कर, उन्हे प्रारूप योजना में सम्मलित करे।

1.2 निवेश क्षेत्र गठन की अधिसूचना तथा निवेश क्षेत्र मानचित्र की सीमाओं का मिलान किया जाए।

1.3 निवेश गठन की अधिसूचना के आधार पर ग्रामों की सूची, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या संबधी तालिका तैयार की जाये।

1.4 निवेश गठन संबधी अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न की जावे।

2. वर्तमान भूमि उपयोग सुस्पष्ट मानचित्र तैयार किया जावे एवं उसका अद्यतन जिस दिनांक को किया गया है, उसका स्पष्ट उल्लेख मानचित्र एवं सारणी में किया जावे।

3. वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र में विभिन्न भूमि उपयोगों अंतर्गत दर्शित क्षेत्र की गणना कर, वर्तमान भूमि उपयेाग संबधी सारणी तैयार की जावे। मानचित्र एवं सारणी में विभिन्न भूमि उपयोगों में अंतर नही होना चाहिए।

4. विकास योजना के प्रत्येक मानचित्र में उसमें दर्शित भूमि उपयोग तथा सुसंगत जानकारी का लिजेण्ड से मिलान होना चाहिए।

5. मानचित्रों में दर्शित मार्गो का नाम/दिशा/चौड़ाई आदि का मिलान विकास योजना प्रारूप के टेक्स्ट से किया जावे।

6. विकास नियमन के अध्याय में म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 को यथासंभव, यथावत रखा जाना चाहिए। जहां पर म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 से भिन्न नियमन रखे जाने हो, वहॉ ऐसे प्रतिस्थापित नियमन का स्वतः स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। यदि नगर की कोई विशेषताऐं है तो उनके संरक्षण के विशिष्ट नियमन का उल्लेख होना चाहिए।

7. 2 लाख जनसंख्या तक वाले नगरों में पारम्परिक भूमि उपयोग रखा जाना आवश्यक नही है। ऐसे नगरों में यथा संभब मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र प्रस्तावित किया जाना चाहिए। जलाशय, हरित क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र, अन्य सम्वेदनशील क्षेत्रों को संरक्षित रखने के पर्याप्त उपाय योजना मे रखे जावे।

8. स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु स्टेण्डर्ड सूची संचालक द्वारा तैयार की जावे। Plan area की विशिष्टताऐं अथवा आवश्यकताओं को देखते हुये इन स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियों के चार्ट में यथोचित संशोधन किया जावे।

9. विकास योजना के कियान्वयन की लागत की गणना की जाना संभब नही होता है, इस कारण प्रारूप में यह उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए कि लागत सांकेतिक स्वरूप की है। तथा वास्तविक गणना प्रस्तावों के कियान्वयन के समय की जावेगी।

10. निवेश क्षेत्रों के गठन एवं विकास योजना प्रारूप तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जावेगी:–

10.1 नया निवेश क्षेत्र निम्न समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही लागू किया जावेगा–

I.	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग,	अध्यक्ष
II.	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,	सदस्य
III.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,	सदस्य
IV.	प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग,	सदस्य
V.	प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग	सदस्य
VI.	प्रमुख सचिव वन विभाग	सदस्य
VII.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,	सदस्य
VIII.	आयुक्त, सह संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य सचिव

समिति द्वारा निवेश क्षेत्र चिन्हित/अनुमोदित होने के उपरान्त अधिसूचित किया जावेगा।

10.2 जिला कार्यालय प्रमुख नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रों के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करेगे। अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के पूर्व निम्न समिति वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों का परीक्षण करेगी–

ए.	कलेक्टर,	अध्यक्ष
बी.	जिला योजना अधिकारी,	सदस्य
सी.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,	सदस्य
डी.	संबंधित, आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी,	सदस्य
ई.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र,	सदस्य
एफ.	वन संरक्षक/वन मंडलाधिकारी,	सदस्य
जी.	नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय प्रमुख	सदस्य सचिव

10.3 नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय प्रमुख, वर्तमान भूमि उपयोग की स्थिति, वर्तमान लागू विकास योजना के प्रावधानों, निवेश क्षेत्र की विस्तृत जानकारी तथा नगर की विशिष्टताओं के संबध में जिला समिति, जिला पंचायत संबधित नगरीय निकाय के समक्ष प्रस्तुतिकरण कर विभिन्न मुददो जैसे वर्तमान मार्ग संरचना, प्रस्तावित मार्ग संरचना, वर्तमान एवं प्रस्तावित भौतिक/सामाजिक अधोसंरचना अन्य समस्याओं तथा उनके समाधान पर सुझाव प्राप्त करेगे।

तदोपरान्त विकास योजना प्रारूप से संबधित रिपोर्ट एवं मानचित्र तैयार किया जायेगा।

11. जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा, विकास योजना का प्रथम प्रारूप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति प्रारूप का परिक्षण कर सुधारात्मक सुझाव देगी। तदानुसार प्रारूप आवश्यक संशोधन सहित पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। समिति प्रारूप को अंतिम रूप देगी जिसका विधिवत प्रकाशन किया जावेगा।

12. अधिनियम की धारा 17–क(1) के अन्तर्गत गठित समिति के सुनवाई प्रतिवेदन का परीक्षण उपरोक्त कंडिका 11 में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। तद्पश्चात संचालक अधिनियम की धारा 18(3) अन्तर्गत आवश्यक प्रतिवेदन तैयार कर, राज्य शासन को समय सीमा में प्रेषित करेगा।

उक्त निर्देश म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 73(1) के अन्तर्गत जारी किये गये है।

(इकबाल सिंह बैंस)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल दिनांक -7-13

पृ0कमांक / एफ - 3-61/13/32
प्रतिलिपि :–

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, जिला........................ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग